आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
14/11/2012		

सारण समाहरणालय, छपरा।
न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला विधि प्रशाखा
आपूर्त्ति अपील सं0 03/2010
कल्लू मांझी बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश

यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश दिनांक 16/01/2010 के विरुद्ध दायर किया गया।

अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन में अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश दिनांक 16/01/2010 को चुनौती देते हुए कहा है कि उसकी दुकान से सम्बद्ध नहीं रहने वाले कई व्यक्तियों के द्वारा दायर झूठे परिवाद पत्र के आधार पर उसकी अनुज्ञप्ति निलम्बित और रद्द की गयी। अपीलकर्त्ता ने यह भी कहा कि निलम्बन के पूर्व उसे स्पष्टीकरण समर्पित करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व इस मूल बिन्दु पर विचार नहीं किया गया कि परिवादकर्त्ता उसकी दुकान से सम्बद्ध नहीं थे।

परिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि प्रश्नगत आदेश एक दोषरहित वैद्धिक प्रक्रिया के तहत निर्गत किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के साक्ष्यों का पूरा परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि वितरक के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी को समर्पित वितरण पंजी में परिवादकर्त्ताओं के नाम सम्मिलित हैं और इसलिए अपीलकर्त्ता का यह दलील कि परिवादकर्त्ता उसके प्रतिष्ठान से सम्बद्ध नहीं थे, पूरी तरह गलत है।

दोनों पक्षों को सुनने तथा मूल अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता ने यद्यपि अपने स्पष्टीकरण दिनांक 23/11/2009 के माध्यम से परिवादकर्त्ता सर्वश्री साहिद खान, सेराजुद्दीन अंसारी, रिजवान खाँ, अशरफ अली तथा खाालिक खाँ को अपनी दुकान से सम्बद्ध नहीं माना था, फिर भी अनुज्ञापन पदाधिकारी ने उसे अपीलकर्त्ता के प्रतिष्ठान से सम्बद्ध माना। स्पष्टतः अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा परिवादकर्त्ताओं की सम्बद्धता के संबंध में निर्णय लेने में त्रुटि हुई है। गैर-सम्बद्ध परिवादकर्त्ताओं को आपूर्त्ति नहीं दिए जाने के कारण अनुज्ञप्ति रद्द करना पूरी तरह न्याय का हनन होगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में मेरा स्पष्ट मत है कि प्रश्नगत आदेश विधि मान्य नहीं है और इसे निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकृत।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।